Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

- **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जोधपुर में प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास तलाशी में मिली लाखों की नकदी व अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज**

जयपुर, 11 नवम्बर/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) जोधपुर इकाई द्वारा बुधवार को कार्यवाही करते हुये धर्मेन्द्र कुमार जैन पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जैन उम्र 55 नि. ग्राम बोरखण्डी कल्ला तहसील पीपलु जिला टोंक हाल प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी, जिला जोधपुर को 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार तत्पश्चात् आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी में 7.18 लाख रूपये की नगदी एवं विभिन्न सम्पत्तियों के दस्तावेज मिले है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरी फर्म टेक्नो विजन डिजिटल सिक्योरिटी के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी जोधपुर में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, जिसका बिल पास करने की एवज में धर्मेन्द्र कुमार जैन, प्राचार्य 40 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर दो भागों में 15 हजार एवं 10 हजार रूपये अपने बैंक खाते में मुझसे आनलाईन जमा करवाना व शेष रिश्वत राशि 15 हजार रूपये की मांग कर रहा है इसके अतिरिक्त गिफ्ट के रूप में 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **धर्मेन्द्र कुमार जैन** पुत्र स्व. श्री नन्दलाल जैन उम्र 55 नि. ग्राम बोरखण्डी कल्ला तहसील पीपलु जिला टोंक हाल **प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय तिलवासनी, जिला जोधपुर को 10 हजार रूपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तत्पश्चात् आरोपी के घर पर एक अन्य टीम द्वारा तलाशी के दौरान 7.18 लाख रूपये की नगदी एवं विभिन्न सम्पत्तियों के दस्तावेज मिले है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।